भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 820
गुरुवार, 24 जुलाई, 2025/2 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

राष्ट्रीय विमानपत्तन विकास योजना

820. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय विमानपत्तन विकास योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2047 तक विमानपत्तनों की संख्या दोगुनी करके 300 करने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार हवाई पट्टियों का ब्यौरा क्या है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की उक्त हवाई पट्टियों को पूर्ण हवाई अड्डों के रूप में विकसित करने की क्या योजना है;

(घ) आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित दगादर्थी विमानपत्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 2047 के लिए अनुमानित यात्री यातायात के संबंध में कोई आकलन किया है;

(च) यदि हाँ, तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के बीच उक्त अनुमानित यात्री यातायात आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में प्रत्येक विमानपत्तन का ब्यौरा क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में नामित किया गया है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकास हेतु ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है। इस नीति के अनुसार, यदि राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता हवाईअड्डा विकसित करना चाहता है, तो उसे उपयुक्त स्थल चिह्नित करना होगा और हवाईअड्डे के निर्माण हेतु प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन करवाना होगा तथा केंद्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना, जनसाधारण के लिए हवाई यात्रा को और

किफ़ायती बनाना तथा क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। आरसीएस उड़ानों के परिचालन के लिए 25 वॉटर एयरोड्रोमों और 64 हेलीपैडों सहित 215 आरसीएस हवाईअड्डों को चिह्नित किया गया है। देश भर में 92 असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों (15 हेलीपोर्टों और 02 वॉटर एयरोड्रोमों सहित) को प्रचालित किया गया है।

भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), राज्य सरकारों, सीपीएसई और रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों, हेलीपोर्टों और वॉटर एयरोड्रोमों के पुनरुद्धार/ उन्नयन के लिए 4500 करोड़ रुपए का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, दूसरे चरण में 50 और हवाईअड्डों के पुनरुद्धार के लिए 1000 करोड़ रुपए का भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब तक 4604 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

इस योजना के तहत परिचालित 3.14 लाख आरसीएस उड़ानों से 153.59 लाख से ज़्यादा यात्री लाभान्वित हुए हैं। यह सरकार के वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के विज़न के अनुरूप है।

(घ): भारत सरकार ने वर्ष 2016 में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे, दगदर्थी (नेल्लोर), आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया था; आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीएडीसीएल) ने हवाईअड्डे के विकास कार्य की ज़िम्मेदारी ली है। वर्ष 2018 में एपीएडीसीएल और नेल्लोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एनआईएएल) के बीच रियायत समझौता हुआ था, जिसे बाद में आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

(ङ) और (च): वर्ष 2046-47 तक भारतीय हवाईअड्डों द्वारा लगभग 3000 मिलियन यात्रियों के लिए व्यवस्था करने की संभावना है, जिनमें 300 मिलियन अंतरराष्ट्रीय यात्री और 2700 मिलियन घरेलू यात्री होंगे।

(छ): देश में किसी भी हवाईअड्डे को विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय हब के रूप में नामित नहीं किया गया है।

*****